न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—316/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/316)

1. गणपत पुत्र छगन (अणची पत्नि छगन) जाति बंजारा निवासी अर्जनपुरा जांगीर तहसील पीसांगन जिला अजमेर हाल निवासी अहमदाबाद (गुजरात)।

अपीलांट

बनाम

1. सायरी देवी पत्नि भागीरथ (भागीरथ पुत्र अणची) (अणची पत्नि नानू) जाति बंजारा निवासी अर्जुनपुरा जांगीर तहसील पीसांगन जिला अजेमर।
2. उपपंजीयक पीसांगन जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 26.07.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन राजस्व वाद संख्या 135/2021

उपस्थितः—

1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—04.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 135/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारन की बहस पर मनन करते हुए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को खारिज किए जाने के आदेश दिनांक 26.7.2023 को पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 135/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलांट की माता अणची के निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र में पति का नाम छगन अंकिन होने से स्पष्ट हो जाता है कि अणची मृत्यु के दिनांक 18.1.2009 को उसका पति छगन था जिससे अणची का नाता विवाह छगन से होकर वैवाहिक जीवन से अपीलांट गणपत उत्पन्न हुआ। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अणची के फोटो विरासतन नामांतकरण को तस्दीक किए जाते समय मृत्यु प्रमाण पत्र का अवलोकन किए बिना ही अपीलांट के 1/2 हक हिस्से को नजरअंदाज कर संपूर्ण वादग्रस्त आराजी का राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज कर रेस्पोडेंट संख्या 1 के पति भागीरथ पुत्र नानू को अवांछित लाभ प्रदान कर दिया। वादग्रस्त आराजी अणची की स्वअर्जित भूमि है अणची से उत्पन्न हुए दोनों पुत्र भागीरथ पुत्र नानू व गणपत पुत्र छगन का 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 की प्रथम श्रेणी की वारिस होने से दोनों का समान हक हिस्सा निहित होते थे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की नौयत को समझे बिना ही आदेश पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा बाबत उदघोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विचाराधीन है जिससे अस्थाई निषेधाज्ञा का उददे्श्य विवादित आराजी की विषय वस्तु का विद्यमान दशा में मूलवाद के निस्तारण तक सुरक्षित रखा जाना न्याय की मंशा है अन्यथा दावे का औचित्य ही समाप्त हो जावेगा। उक्त वादग्रस्त आराजी बाबत पक्षकारों की प्लीडिंग में यदि विरोधाभाष हो और जिसका निस्तारण साक्ष्य, सबूतों से होना बाकी है तो दावे के निस्तारण तक यथास्थिति का आदेश बनाए रखा जाना न्यायसंगत है जिस आधार पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य यदि बहस लायक है तो वाद की यथास्थिति बनाए रखनी चाहिए अथवा वाद की किस्त बदल जाएगी इसमें कई प्रकार की कार्यवाही कानूनी पेचिदगियां बढ जाएगी। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 135/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0बी0जे 2020 पेज 82, आर0आर0डी0 1970 पेज 135 व 140 पेश किए है।

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। न्यायालय हाजा द्वारा अपील में किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट द्वारा कि गई एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायाल के समक्ष वर्तमान अपीलांट/प्रार्थी द्वारा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस सुनते हुए प्रकरण में दिनांक 26.07.2023 को निर्णय पारित करते हुए अपीलांट/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए।

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को विनिश्चित करने के तीन मूलभूत बिंदु है यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति। हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों बिंदुओं का विश्लेषण निम्नानुसार है–

प्रथम दृष्टया प्रकरण :– वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 666 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 1288 रकबा 0.36 है0 एवं खसरा नम्बर 1288/1436 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 रकबा 0.43 है0 वाकै ग्राम अर्जुनपुरा जांगीर पटवार हल्का अर्जुनपुरा जांगीर भू0अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मांगलियावास तहसील पीसांगन जिला अजमेर में अवस्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजीयात में अपीलांट की माता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए। अणची द्वारा अपने जीवनकाल में पहला विवाह नानू पुत्र मोडा से किया। जिससे भागीरथ पुत्र नानू उत्पन्न हुआ नानू पुत्र मोडा के फौत हो जाने पर अणची ने नानू के भाई छगन पुत्र मोडा से नाता विवाह किया जिससे गणपत पुत्र छगन उत्पन्न हुआ। अर्थात् अणची के वैवाहिक जीवनकाल से दो पुत्र भागीरथ पुत्र नानू एवं गणपत पुत्र छगन उत्पन्न हुए। अणची की मृत्यु दिनांक 18.1.2009 को होने पर विरासत नामांतरकरण भागीरथ पुत्र नानू के नाम नामांतरकरण संख्या 510 दिनांक 08.07.2016 को दर्ज हुआ। इसके पश्चात भागीरथ द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजीयात को जरिए दानपत्र रेस्पोडेंट संख्या 1 अपनी पत्नि सायरी को जिसका नामांतरकरण संख्या 729 दिनांक 08.09.2021 तस्दीक किया गया। इस स्थिति में इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता की अणची गणपत की माता है। चूंकि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य स्व0 अणची का पहचान पत्र जिसमें अणची के पति का नाम छगन अंकित है तथा गणपत के विद्यालय की टी0सी0 जिसमें उसके पिता का नाम छगन व माता का नाम अणची अंकित है। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंटस के विरूद्ध बनना पाया जाता है।

सुविधा का संतुलन :– चूंकि विवादित आराजीयात का अंतिम निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जरिए साक्ष्य व सबूतों से किया जाना शेष है। इस अनुसार यदि अपीलांट को चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो यह न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध होगा चूंकि यदि वर्तमान रेस्पोडेंट को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो प्रकरण में अनावश्यक वाद बहुलता बढने की प्रबल संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि उक्त आराजीयात में किसका कितना हक हिस्सा निहित है इसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मूल वाद के निस्तारण पश्चात ही होना है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है।

अपूर्णीय क्षति :– वादग्रस्त आराजीयात जो कि अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के मध्य विवादित आराजीयात है। जिसमें मूल वाद के पश्चात हक व अधिकार तय होने है। ऐसी स्थिति में यदि अपीलांट द्वारा चाहा गया

अनुतोष प्रदान नहीं किया जाता है तो अपीलांट को भारी आर्थिक नुकसान होने की आशंका है जिसकी क्षति पूर्ति किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी अवस्था में रेस्पोडेंट की बजाय अपीलांट को भारी तुलनात्मक असुविधा होगी। रेस्पोडेंट को उक्त वादग्रस्त आराजीयात बाबत किस प्रकार क्षति कारित होगी, इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जब कि अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से यह बखूबी साबित किया गया है कि उन्हें अपील के माध्यम से चाहा गया अनुतोष नहीं मिलने से वह किस प्रकार से प्रभावित होगा। अतः अपूर्णीय क्षति का बिंदु भी अपीलांट के पक्ष में बनना पाया जाता है। उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तीनों मूलभूत बिंदु यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति अपीलांट के पक्ष में पूर्णतया सिद्ध होते है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पीसांगन द्वारा प्रकरण संख्या 135/2021 में पारित आदेश दिनांक 26.07.2023 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा ताफैसला मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर